एफ.संख्या 5(2)-बी(पी.डी.)/2009 भारत सरकार वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग

नयी दिल्ली, दिनांक 15 अक्तूबर, 2009

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले अग्रिम - 2009-2010 के दौरान वाहन खरीदने के लिए ब्याज की दर।

अघोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2009-2010 के दौरान अर्थात् पहली अप्रैल, 2009 से 31 मार्च, 2010 की अविध में वाहनों की खरीद के लिए सरकारी कर्मचारियों को स्वीकृत किए जाने वाले अग्रिमों के लिए ब्याज की दरें वर्ष 2008-2009 के लिए ब्याज दरों के समान स्तर पर निम्नानुसार रहेंगी:-

ब्याज की वार्षिक दर

(i) मोटर-कार को छोड़कर अन्य वाहन खरीदने के लिए अग्रिम (अर्थात मोटर-साइकिल, स्कूटर आदि)

८ प्रतिशत

(ii) मोटर-कार खरीदने के लिए अग्रिम

11.5 प्रतिशत

(संत राम) अवर सचिव (बजट)

सेवा में

- 1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को आन्तरिक वित्तीय सलाहकारों, लेखा नियंत्रकों और वेतन एवं लेखा कार्यालयों के लिए अतिरिक्त प्रतिलिपियों सहित।
- 2. बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के वित्त सचिव।

प्रतिलिपि प्रेषितः-

- 1. भारत के नियंत्रक महालेखा-परीक्षक, नई दिल्ली।
- 2. लेखा महानियंत्रक, नई दिल्ली।
- 3. रक्षा लेखा महानियंत्रक, नई दिल्ली।
- 4. सभी महालेखाकार और लेखा निदेशक।
- 5. भारत का सर्वोच्च न्यायालय।
- 6. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।

(संत राम) अवर सचिव (बजट) F.No. 5(2)-B(PD)/2009 Government of India Ministry of Finance Department of Economic Affairs

New Delhi, the 15th October, 2009

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Advances to Government servants — Rate of interest for purchase of conveyances during 2009-2010.

The undersigned is directed to state that the rates of interest for advances sanctioned to the Government servants for purchase of conveyances during 2009-2010 i.e. from 1st April, 2009 to 31st March, 2010 will continue to be at the same level as for 2008-2009, as under:

Rate of interest per annum 8%

(ii) Advance for purchase of motor car

(i) Advance for purchase of conveyance other than

motor car (viz. motor cycle, scooter etc.)

11.5%

(Sant Ram)
Under Secretary (Budget)

To

- 1. All Ministries/Departments of the Government of India with spare copies for IFA, Controller of Accounts and Pay and Accounts Offices.
- 2. Finance Secretaries of UTs without legislature.

Copy forwarded to:—

- 1. C&AG of India, New Delhi.
- 2. C.G.A., New Delhi.
- 3. C.G.D.A., New Delhi.
- 4. All AGs and Director of Accounts.
- 5. Supreme Court of India.
- 6. UPSC, New Delhi.

(Sant Ram)
Under Secretary (Budget)